:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास

मूकदमा नम्बरः– 139/18 राजस्व वाद

1. श्रीमति रूखी पत्नि राजेश पिता अमरा वादी जाति वादी तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज

वादीया

बनाम

1. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूँगरपुर

प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक 28/01/2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीया का विवाह गॉव डूंगर सारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर में श्री राजेश पिता अमरा वादी के साथ हुआ होकर वीदया के ससुर का नाम अमरा तथा सांस का नाम संती है। वादीया के सांस ससुर डूंगर सारण में ही निवास कर रहे है।

यह कि वादीया रूखी व श्री राजेश को वैवाहिक जीवन से शैलेष (पुत्र), जयेश (पुत्र), मीना (पुत्री), रिंक (पुत्री), होकर सभी नाबालिग है। यह कि वादीया व उसके पति राजेश विवाह के बाद कूछ वर्ष तक डूंगर सारण में रहे तथा उसके बाद वह सारण खास गॉव में आकर रोजगार के लिये निवास करने लगे।

यह कि वादीयॉ के पति राजेश का दिनांक 14.03.2011 को देहान्त गुजरात के सीवील हॉस्पीटल मे हो गया है।

यह कि वादीयॉ व उसके पति राजेश के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि गॉव डूंगर सारण में स्थित है जिसका खसरा नम्बर 1837/457 होकर रकबा 3 बिघा है।

यह कि अभी कुछ समय पूर्व वादीया को उसके ससुर द्वारा गॉव डूंगर सारण में स्थित भूमि की डायरी उपलब्ध कराई तो उपरोक्त रेकॉर्ड की दिखवाये जाने पर प्रकट हूआ कि उपरोक्त रेकॉर्ड में वादीया के पति तथा उनके पिता का नाम तो सही अंकित है लेकिन वादीया का नाम सोमी लिखा गया तथा जाति तो वादी ही अंकित है जिस पर पटवारी हल्का से भूमि की जमाबन्दी प्राप्त की गई तो उसमें वादीया का नाम सोमी अंकित किया जाकर जाती मीणा अंकित है जबकि वादीया व उसके पति मीणा जाति के नही होकर 'वादी' जाति के है और इसी प्रकार पटवारी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादीया का नाम सोमी गलत अंकित किया जबकि वादीया का वास्तविक नाम रूखी है पति का नाम राजेश तो सही अंकित किया है लेकिन वादीया की भी जाति मीणा को गलत अंकित किया है।

यह कि सोमी नाम वादीया का प्रेम से घर पर रखा गया नाम है जबकि वास्तविक नाम तथा राजकीय दस्तावेजों में वादीया का नाम रूखी है तथा इसी नाम से राजस्व रेकार्ड व अन्य जगह पहचाना जाता है।

यह कि जानकारी के पश्चात पटवारी हल्का को बात बताये जाने पर उन्होने से सुधार से इंकार करते हुए निर्देश दिये कि न्यायालय के आदेश के पश्चात ही रेकार्ड में सुधार किया जा सकता है जिस पर माननीय न्यायालय आप में इन्द्राज दुरस्ती का वाद पश किया जा रहा है।

यह कि गॉव डूंगर सारण में राजेश पिता अमरा मीणा तथा उसकी पत्नि सोमी पत्नि राजेश मीणा नाम के कोई भी व्यक्ति नहीं है तथा उपरोक्त भूमि 1837/457 के वादीया श्रीमति रूखी व उसके पति राजेश ही खातेदार काश्तकार होकर उपरोक्त भूमि पर वर्तमान में एक मात्र वादीया का ही कब्जा काश्त है।

यह कि भविष्य में विवादों से बचने तथा सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक हैं ताकि वादीयॉ की संतानों को भविष्य में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पडे।

यह कि वादीयॉ ही उपरोक्त भूमि की एक मात्र मालिक स्वामित्वधारी होकर कब्जेधारी है। ऐसी परिस्थति में राजस्व रेकार्ड में नाम सुधार किया जाना आवश्यक है। तथा वादीया के पति का देहान्त हो जाने से उनका नाम हटाया जाना आवश्यक है तथा राजस्व रेकार्ड में सोमी पत्नि राजेश मीणा की जगह रूखी पत्नि राजेश वादी किया जाना आवश्यक है।

जवाब में प्रतिवादी तहसीलदार चिखली ने रिपोर्ट प्रस्तूत कर प्रकरण में सोमी पत्नि राजेश मीणा के स्थान पर रूखी पत्नि राजेश वादी अंकित किया जाने की अभिशंषा की है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया। आवेदक का नाम अन्य दस्तावेजों मे दर्ज नाम के आधार पर रूखी पत्नि राजेश वादी दुरस्त किये जाने का वाद स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि–

–:आदेश:–

गॉव डूंगर सारण में स्थित भूमि आराजी नम्बर 1837/457 रकबा3बिघा में रूखी पत्नि राजेश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार चिखली को आदेशित किया जाता है कि गॉव डूंगर सारण में स्थित भूमि आराजी नम्बर 1837/457 रकबा3बिघा में खातेदार का नाम रूखी पत्नि राजेश अंकित किये जावे।

आज दिनांक 28/01/2022. को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली